न्यायालयः– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना–कुचामन

बउनवान–अब्दुल शकुर व अन्य बनाम सरकार
किस्म– दीवानी मूल नंबर–44/06 क.नं. 61/11

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
27-03-26	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। अधिवक्ता वादी ने आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिनके संबंध में बहस गत पेशी पर सुनी गई। आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के संबंध में वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रतिवादी संख्या 04 व 05 द्वारा प्रस्तुत वाद में विवादित बिन्दू समान होन के कारण वादीगण के वाद की कार्यवाही धारा 10 सीपीसी के तहत दिनांक 03.05.2016 को प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के द्वारा प्रस्तुत वाद के अंतिम निर्णय तक स्थगित करते हुए कार्यवाही स्थगित रखी गई थी व अपील संख्या 216/2009 के निर्णय तक फैसल शुमार की गई। प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के वाद में दिनांक 01.04.2009 को उनके पक्ष में डिक्री पारित की गई जिसकी विरूद्ध वादीगण ने माननीय उच्च न्यायालय में प्रथम अपील संख्या 216/2009 पेश की जिसे स्वीकार कर प्रतिवादीगण के पक्ष में जारी डिक्री को दिनांक 19.09.2017 को निरस्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादीगण के वारिसान द्वारा दो एसएलपी नंबर 3123/18 व 3467/18 माननीय उच्चतम न्यायालय में पेश की जिनका संयुक्त निर्णय दिनांक 15.10.2024 को करते हुए दोनो एसएलपी खारिज की गई। हस्तगत वाद में तनकी संख्या 01 माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय ने प्रतिवादीगण के	

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन

विरूद्ध निस्तारित कर दी व तनकी संख्या 02 का निर्धारण कराने के लिए ही प्रतिवादीगण को पक्षकार बनाया था। प्रतिवादीगण के वाद की तनकी संख्या 01 व हस्तगत वाद की तनकी संख्या 02 मूलतः समान है। प्रतिवादीगण के वाद की तनकी संख्या 01 का निर्णय हो चुका है जिससे वाद में प्रतिवादी संख्या 04 व 05 न तो आवश्यक पक्षकार है और न ही प्रोपर पक्षकार रहे है और न ही वाद में तनकी संख्या 02 का निर्णय किया जाना है। प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के खान संख्या 69 में अधिकारो को लेकर किए गए वाद संख्या 37/2000(69/2004) का माननीय सर्वोच्च न्यायालय़ तक निर्णय हो चुका है इसलिए प्रतिवादी संख्या 4 व 5 न तो आवश्यक पक्षकार है और न प्रोपर पक्षकार रहे है व न ही वादीगण इनके विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष वाद संख्या 37/2000 का निर्णय हो जाने से चाहते है अतः प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के वारिसान को मुकदमा पक्षकार हटाने जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के वारिसान की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एसएलपी खारिज करने का कारण मूल पटटाधारी वादीगण के द्वारा बापी अधिकारो की घोषणा किसी भी न्यायालय से आरएमएमसीआर 1959 व 1977 के तहत नही करवाई जिससे मूल पटटाधारी के अधिकार घोषित नही होने से प्रतिवादीगण के अधिकार नही माने जिसको लेकर प्रतिवादीगण ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है। वादग्रस्त खान प्रतिवादीगण को वादीगण द्वारा दिनांक 02.06.72 को अंतरण की जा चुकी है और प्रतिवादीगण के अंतरण बाबत माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई आदेश नही दिया है बल्कि वादीगण के अधिकारो को

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन

मान्यता नही दी है। वादीगण जिस तनकी वावत कह रहे है उसके निस्तारण से प्रतिवादीगण के अधिकारो पर कोई प्रभाव नही पडता है और इस वाद में वादीगण प्रतिवादीगण के मध्य अन्य भी कई तथ्यो का विवाद शेष नही है जिससे प्रतिवादीगण वाद में आवश्यक व प्रोपर पक्षकार है। वादीगण प्रतिवादीगण द्वारा उठाई गई आपत्ति के निस्तारण से बचने के लिए प्रतिवादीगण को वाद से पक्षकार हटाए जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रतिवादीगण ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया उसे प्रारंभिक स्टेज पर ही तय किया जाना जरूरी है जिससे सम्पूर्ण वाद का निस्तारण हो जाएगा तथा वादीगण का वाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद चलने योग्य नही है अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र स्वीकार कर वादीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खारिज किए जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। जहां तक वादीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के वारिसान को हटाने जाने का कथन किया क्योकि पूर्व में प्रतिवादी संख्या 04 व 05 की ओर से विवादित खान संख्या 69 में स्वयं के अधिकारो की घोषणा का वाद संख्या 69/2004 पेश किया गया था उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय से निर्णय हो चुका है इसलिए प्रतिवादी संख्या 04 व 05 हस्तगत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नही है।

इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि प्रतिवादीगण हस्तगत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है और वाद में उनके हित निहित है। वादग्रस्त खान पर उनका कब्जा है

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना

और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उससे प्रतिवादीगण के अधिकारो पर कोई प्रभाव नही पडा है।

उभयपक्षो के मध्य स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी संख्या 04 व 05 की ओर से जो वाद संख्या 69/2004 पेश किया गया था उसमें खान संख्या 69 में बापी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा था जो माननीय उच्चतम न्यायालय तक तय हो चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के द्वारा पूर्व में जो वाद संख्या 69/2004 पेश किया गया था उसमें आदेश पारित किया गया कि:–

During the course of hearing, the issue as to whether the suit preferred by Abdul Shakoor, now represented by his legal representatives, namely, Original Suit No. 44/2006 (34/2007) before the Additional District Judge (Fast Track) Parbatsar, Rajasthan, is barred by the limitation, has been raised.

Recording the aforesaid, the present special leave petitions are dismissed.

Pending applications, if any shall stand disposed of.

अर्थात प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के द्वारा जो वाद संख्या 69/2004 पेश किया उसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से तय कर दिया गया है।

प्रतिवादी संख्या 04 व 05 ने जो वाद संख्या 69/2004 पेश किया उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल प्रथम अपील नंबर 216/2009 दिनांक 19.09.2017 को निर्णय पारित किया गया जिसमें:–

So Far as the finding regarding possession given by the trial court is

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन

concerned, the trial court has not considered the mauka report (Ex A/25) of Shri Ram Lal, Surveyor, which clearly shows that the appellants were in possession and the appellants applications for grant of mining lease Ex. A/23 was considered and thereafter, a notice inviting objection issued and when the license Ex. A/39 dated 21-06-1997 was issued in favour of the appellants.

The trial court has also not considered the fact that the said license was renewed in favour of the appellants up to 31-12-2007.

From the documentary evidence, it is clear that the appellants were in possession of the land in question though the said license was set aside by the Deputy Secretary in December 2004.

In view of this the findings on issue No. 1 of the trial court is not sustainable in the eye of law and deserve to be quashed and set aside.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया गया जिसमें उक्त तथ्य का वर्णन है कि मौका रिपोर्ट प्रदर्श ए25 के अनुसार प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट अब्दुल गफुर व अन्य का कब्जा है।

हस्तगत प्रकरण के वादीगण अब्दुल शकुर वगैरा द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के द्वारा पेश दावा संख्या 69/2004 में जो अपील पेश की गई है उसमें प्रतिवादी खलील अहमद व अब्दुल रज्जाक की ओर से पेश वाद को अस्वीकार कर खारिज किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रकट है कि खान संख्या 69 का लाईसेंस अब्दुल शकुर के पक्ष में होने के दस्तावेजात पत्रावली पर पेश है

अपर जिला न्यायाधीश
कैराना, जिला [illegible]

तथा धारा 145 सीआरपीसी की कार्यवाही में उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा दिनांक 13.12.2002 को आदेश दिया गया उसके विरूद्ध पेश की गई निगरानी याचिका में दिनांक 19.01.2006 को पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर है जिसमें उक्त तथ्य का वर्णन है कि गैर निगरानीकार संख्या 02 अर्थात हस्तगत प्रकरण के प्रतिवादी अब्दुल रज्जाक से विवादग्रस्त खान संख्या 69 का तत्काल कब्जा प्राप्त करें तथा उसे कुर्क रखे तथा विचारण न्यायालय विवादग्रस्त खान को खान विभाग के किसी अधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर उसके कब्जे में सुपुर्द करें।

साथ ही पत्रावली का अवलोकन करे तो स्वयं प्रतिवादी संख्या 04 खलील अहमद द्वारा दिनांक 25.01.2006 को खान विभाग के समक्ष विवादित खान संख्या 69 का कब्जा प्राप्त किए जाने बाबत प्रार्थना पत्र की प्रति पत्रावली पर है जिसमें उक्त तथ्य का वर्णन है कि अपर जिला एवं सेशन न्यायालय परबतसर द्वारा खान संख्या 69 का कब्जा खान विभाग को सुपुर्द किए जाने के आदेश दिए गए जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है और उसे विवादित खान का कब्जा सुपुर्द किया जावें।

साथ ही थानाधिकारी द्वारा विवादित खान का कब्जा प्रतिवादी संख्या 04 व 05 को सन् 2002 में सुपुर्द किए जाने का प्रार्थना पत्र पत्रावली पर संलग्न है। उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा उक्त विवादित खान की कुर्की के आदेश की प्रति जो सन् 2002 की है, पत्रावली पर है तथा अलग अलग दिनांक की रिपोर्ट जो खान विभाग की है, पत्रावली पर पेश है। उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि स्वयं प्रतिवादी खलील अहमद की ओर से दिनांक

अपर जिला न्यायाधीश
परबतसर, जिला नागौर-कूटा

25.01.2006 को खान विभाग के समक्ष उक्त विवादित खान का कब्जा वापस प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है लेकिन अवलोकन से प्रतीत है कि उक्त विवादित खान का कब्जा वापस प्राप्त हुआ हो इस बाबत दस्तावेजात पत्रावली पर नही है।

साथ ही प्रतिवादी संख्या 04 व 05 की ओर से पेश वाद संख्या 69/2004 माननीय उच्चतम न्यायालय तक तय हो चुका है और प्रतिवादी संख्या 04 व 05 की ओर से पेश वाद अस्वीकार होकर खारिज हो चुका है।

हस्तगत प्रकरण के वादीगण ने उक्त विवादित खान के बापी अधिकारो की घोषणा का दावा पेश किया है चूंकि प्रतिवादी संख्या 04 प 05 की ओर से अधिकारो की घोषणा का दावा माननीय उच्चतम न्यायालय तक तय हो चुका है अतः ऐसी स्थिति में न्यायालय मत में प्रतिवादी संख्या 04 व 05 हस्तगत प्रकरण में आवश्यक व उचित पक्षकार नही होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है।

विधि के अनुसार प्रकरण में आवश्यक पक्षकार वही है जिसकी उपस्थिति वाद में अन्तर्वलित सभी प्रश्नो का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्यायनिर्णयन और निपटारा करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनो की दृष्टि से आवश्यक हो।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 04 व 05 न तो आवश्यक पक्षकार है और न ही उचित पक्षकार है।

हस्तगत प्रकरण के प्रतिवादी संख्या 04 व 05 ने दिनांक 02.06.1972 व 15.03.1980 के हस्तान्तरण के आधार पर उक्त विवादित खान स्वयं की होना कथन करते है इस बाबत प्रतिवादी संख्या 04 व 05 की ओर से पेश वाद संख्या 69/2004 में कायम किए गए विवाद्यक माननीय उच्चतम न्यायालय तक तय हो

अपर जिला न्यायाधीश
पकराना, जिला डीडवाना-कुचामन

चुके है अतः उपरोक्त विवेचन तथा उक्त तथ्यो व परिस्थितियो को देखते हुए हस्तगत प्रकरण के प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के वारिसान हस्तगत प्रकरण में आवश्यक व उचित पक्षकार नही होना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः अधिवक्ता वादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि हस्तगत प्रकरण के प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के वारिसान आवश्यक व उचित पक्षकार नही होने से उनके नाम के आगे लाल स्याही से डिलीट लिखा जावे।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 02/04/2016 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन